

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)  
मिसल नं. :: 96 / 2017  
सरकार बनाम् रमेश, दयानन्द पुत्र नेतराम, जाति-स्वामी,  
निवासी- लाडून्दा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 16.08.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान रमेश, दयानन्द, जाति-स्वामी, निवासी-लाडून्दा द्वारा रोही मौजा लाडून्दा की राजकीय भूमि ख.नं. 398 कुल रकबा 1.17 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है० भूमि पर फसल बाजरा काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 13 पर  
वर्ष 2017-18 में रुपये 5/- कायम किए  
रमेश लेखाकार

*(बनवारी लाल)*

(बनवारी लाल)

नायब तहसीलदार, सूरजगढ़